

Note : The principal notification No.50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), vide number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 92/2017-Customs, dated the 14th December, 2017, published *vide* number G.S.R. 1515(E), dated the 14th December, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

सं. 1/2018-प्रतिपूर्ति उपकर (दर)

सा.का.नि. 93(अ).—माल एवं सेवाकर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 की उप धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 720(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र के असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,-

- (i) क्रम संख्या 42 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा -

(1)	(2)	(3)	(4)
42क.	87	सभी पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहन स्पष्टीकरण : इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात तब लागू नहीं होगी यदि ऐसी वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता ने केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 की उपवाक्य (63) में यथापरिभाषित इनपुट टैक्स क्रेडिट, सैनवेट क्रेडिट रूल्स, 2004 में यथापरिभाषित सैनवेट क्रेडिट या ऐसे वाहनों पर भुगतान किए गए मूलवर्द्धित कर (वैट) या अन्य किसी कर के बदले में इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया हो।	शून्य

- (ii) क्रम संख्या 43 में, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "8702 या 8703" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 354/01/2018-टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017-प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 720 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 6/2017-प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 13 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1282(अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2018

No. 1/2018-Compensation Cess (Rate)

G.S.R. 93(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017-Compensation Cess (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 720(E), dated the 28th June, 2017, namely,-

In the said notification, in the Schedule, -

- (i) after S. No. 42 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted

(1)	(2)	(3)	(4)
42A.	87	All old and used motor vehicles <i>Explanation:</i> Nothing contained in this entry shall apply if the supplier of such goods has availed input tax credit as defined in clause (63) of section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, CENVAT credit as defined in CENVAT Credit Rules, 2004, or the input tax credit of Value Added Tax or any other taxes paid on such vehicles.	NIL

- (ii) in S. No. 43, for the entry in column (2), the entry “8702 or 8703”, shall be substituted;

[F. No. 354/01/2018-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification No.1/2017-Compensation Cess (Rate) dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), vide number G.S.R. 720(E), dated the 28th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 6/2017-Compensation Cess (Rate) dated the 13th October, 2017, published *vide* number G.S.R. 1282(E), dated the 13th October, 2017.